


आ/निग/रीवा/क्ष-य/2017/3550

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



RS-30/-

बाबूलाल पिता रामचन्द्र निवासी ग्राम कुठिला, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. बड़ेलाल पिता रघुनाथ
2. श्री नारायण पिता रघुनाथ
3. रामखेलावन पिता रामाचन्द्र
4. उमाशंकर पिता भैयालाल

सभी निवासी ग्राम ग्राम कुठिला, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0

.....गैरनिगरानीकर्तागण

अपील विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय त्योंथर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 41/ए 7 अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017

अपील अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2017 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट एवं निर्धारित करने की भूल की है कि प्रत्यर्थागण को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12/02/2009 की जानकारी नहीं थी, जबकि प्रत्यर्थागण को विचारण न्यायालय की पूर्व में ही जानकारी थी फिर भी

रु. नि बाबूलाल

सर्विस ऑफ जवाहर लाल
यु. के. शास्त्री 29.9.17

कलक आफ कोर्ट
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

28.9.17


(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 3550

जिला-रीवा

बाबूलाल / बड़ेलाल

(1)	(2)
17-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री जवाहरलाल दुवे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/ए-7/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31.07.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>

रु नि बाबूलाल